26/3/25 पत्रावली पेश हुई। अधि. प्रकाशन उप। बहस हेतु अवसर चाहते हैं। पत्रावली दि. 5/5/25 को पेश हो।

5/5/25 पत्रावली प्रस्तुत हुई/आज पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश में है/राजकीय प्रयोजन पर है। अतः पत्रावली दि. 2/6/25 को पेश हो।

2/6/25 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधि. उप। प्रा. पत्र-धारा-5 एवं बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा. पत्र दि. 5/6/25 को पेश हो।

05/6/25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। मामले में उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम पर की गयी बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमियों को अपनी पैतृक होना अंकित किया है किन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह साबित करें की प्रार्थीगण मूल खातेदार हीरा डांगी की विधिक वारीसान हो और ना ही प्रकरण में हीरा डांगी का समरा ही प्रमाणित कराया गया है। जहां तक प्रार्थना पत्र के मूल उद्देश्य मयाद अवधि का प्रश्न है तो प्रार्थीगण ने अपने पूरे प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी

— निरंतर —

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नाथद्वारा, जि. राजसमन्द (राज.)

पार्थी ..... वालीबाई ..... विपक्षी ..... ग्रा. पं. विलोता .....

किस्म मुकदमा ..... अपील ..... पत्रावली संख्या ..... 2022/76 ..... पद .....

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

अंकित नहीं किया गया है कि प्रार्थीगण को प्रकरण के सभी तथ्यों की प्रारंभ में जानकारी कब व किस दिनांक को हुई। ना ही नामान्तरण फैसल होने की दिनांक ही अंकित की गयी है। प्रार्थीगण द्वारा अपील के विलंब से प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त कारण भी अंकित नहीं किया गया है और ना ही यह अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण को किस दिनांक तक की अवधि को मयाद में शुमार कराना चाहते है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अपील समय पर प्रस्तुत नहीं करने का ऐसा कोई कारण भी अंकित नहीं किया है जो मानवीय नियन्त्रण के बाहर हो तथा प्रार्थीगण को विलंब की अवधि का दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना भी आवश्यक है, क्योंकि यह भार प्रार्थीगण पर है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रा. पत्र मेन्टेनेबल नहीं होकर विधि से वर्जित हो स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। चूंकि मामले में धारा 05 मयाद अधिनियम अस्वीकार हो अपील अपीलार्थ मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो नंबर से कम की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)